



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 1981/वैशाख 12, 1903

No. 18]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 1981/VAISAKHA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1981

सं० 437.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसदीय कार्य विभाग (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य विभाग (भर्ती और सेवा की शर्तें) (सोसरा संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संसदीय कार्य विभाग (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 के नियम 4 में उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(8) (क) निम्न श्रेणी लिपिकों की श्रेणी में वस प्रतिशत रिक्तियां विभाग के (नियमित स्थापन के) समूह "ब" कर्मचारियों की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति करके निम्नलिखित रीति से भरी जाएंगी अर्थात् :—

(i) पांच प्रतिशत रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उन प्रयोजनार्थ आयोजित अर्हक परीक्षा के आधार पर समूह "ब" के ऐसे कर्मचारियों में से भरी जा

सकेंगी, जिन्होंने निर्णायक तारीख को उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा कर ली है, जो कम से कम मैट्रिक उत्तीर्ण है या समतुल्य ग्रहण रखते हैं और जो 45 वर्ष तक की आयु के हैं (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में 50 वर्ष तक की आयु के हैं)।

(ii) पांच प्रतिशत रिक्तियां विभाग के उन समूह "ब" कर्मचारियों में से, अयोग्य होने पर अस्वीकार कर दिए जाने के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर भरी जा सकेंगी, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा कर ली है और किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक की या कोई समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है।

परन्तु जहां खण्ड (i) में वर्णित ऐसी परीक्षा के परिणामस्वरूप नियुक्ति के लिए या खण्ड (ii) में यथा वर्णित प्रोन्नति के लिए अर्हित अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। वहां रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामस्वरूप सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकेंगी।

परन्तु यह भी कि यदि खण्ड (i) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारी उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो ऐसे अधिक कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्वी वर्षों में होने वाली रिक्तियों की भरने के लिए इस प्रकार विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्वतर परीक्षा में ग्रहणा प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके, जो बाद की परीक्षा में ग्रह होते हैं।

(ख) निम्न श्रेणी लिपिकों की श्रेणी में नब्बे प्रतिशत रिक्तियाँ या ऐसा उच्चतर प्रतिशत, जो विभाग द्वारा खण्ड (क) के परन्तुक के अनुसार अवधारित किया जाए, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उस प्रयोजनार्थ आयोजित किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामस्वरूप सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

टिप्पण : उस श्रेणी में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को आपस में निम्नलिखित रीति से पंक्तिबद्ध किया जाएगा, अर्थात् :—

- (i) ऐसे व्यक्ति, जो इस उपनियम के खण्ड (क) (i) के अधीन नियुक्त किए जाते हैं, आपस में उस क्रम में पंक्तिबद्ध किए जाएंगे, जिसमें उनके नाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी एकल सूची में मूल समूह "घ" पद में उनकी ज्येष्ठता के आधार पर क्रमांकित किए जाते हैं। किसी उच्चतर श्रेणी में पद धारण करने वाले कर्मचारी निम्नतर श्रेणी में पद धारण करने वालों के ज्येष्ठ पंक्ति के होंगे।
- (ii) ऐसे व्यक्ति जो इस उपनियम के खण्ड (क) (ii) के अधीन नियुक्त किए जाते हैं, आपस में निम्नतर श्रेणी में अपनी ज्येष्ठता के क्रम में पंक्तिबद्ध होंगे, किसी उच्चतर श्रेणी में पद धारण करने वाले कर्मचारी निम्नतर श्रेणी में पद धारण करने वालों से ज्येष्ठ पंक्ति के होंगे।
- (iii) सब (i) और (ii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की आपस में ज्येष्ठता 1:1 के अनुपात में होगी अर्थात् इन प्रयोगों में व्यक्तियों को सब (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रयोगों से प्रत्येक में से अनुकल्पतः एक एक व्यक्ति लेकर क्रमांकित किया जाएगा।
- (iv) ऐसे व्यक्ति, जो इस उपनियम के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किए गए हैं, आपस में उस गुणानुक्रम में पंक्तिबद्ध किए जाएंगे जिसमें वे उस प्रतियोगिता परीक्षा में रखे गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भर्ती किए गए हैं। किसी पूर्वतर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्तियों को उनसे ज्येष्ठ रैंक पर रखा जाएगा जो बाद की परीक्षा के हैं।
- (v) सब (i), (ii) और (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की आपसी ज्येष्ठता विभाग द्वारा रखे गए रोस्टर के अनुसार प्रत्येक समूह के लिए नियत कोटा के अनुसार विनियमित की जाएगी, जो सब (i) में निर्दिष्ट एक व्यक्ति से आरम्भ होगी और उसके पीछे सब (iv) के व्यक्ति होंगे और फिर सब (ii) में निर्दिष्ट एक व्यक्ति होगा और उसके पीछे सब (iv) के व्यक्ति होंगे और इसी प्रकार आगे भी।
- (vi) इस उपनियम के खण्ड (क) (i) के अधीन नियुक्त के लिए ऐसे ग्रहक व्यक्तियों की ज्येष्ठता भी, जो उस वर्ष के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक हैं और जिन्हें पश्चात्पूर्वी वर्ष की रिक्तियों में समायोजित किया जाना है और उन व्यक्तियों की जो इस उपनियम के खण्ड (ख) के अधीन पश्चात्पूर्वी वर्ष में नियुक्त किए गए हैं, सब (v) में उप-बंधित रीति से विनियमित की जाएगी :—

परन्तु खण्ड (ख) के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामस्वरूप भर्ती किए गए ऐसे व्यक्तियों की, जिनके मामले में नियुक्ति की प्रस्तापनाएं रद्द कर दिए जाने के पश्चात् पुनः प्रवर्तित की गई है, और ऐसे व्यक्तियों की जो खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन नियुक्त किए गए हैं, ज्येष्ठता वह होगी जो विभाग द्वारा अवधारित की जाए।

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में संतुष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति अधिकारी, किसी वर्ष में, निम्न श्रेणी लिपिकों की श्रेणी में होने वाली पाँच प्रतिशत से अधिक रिक्तियों किन्ती ऐसे सरकारी सेवक के पुत्र, या पुत्री या पति या पत्नी या भाई या बहन की नियुक्ति करके भर सकेगा, जिसकी अपनी सेवा की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति का उन व्यक्तियों से जिनको उस वर्ष में ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किया जाता है, कनिष्ठ पंक्ति में रखा जाएगा :

परन्तु इस खण्ड के अधीन श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता आपस में नियुक्ति की तारीख के अनुसार पंक्तिबद्ध की जाएगी।"

[मं० फा० 4 (3)/80-प्रशा०]

एम०एल० भारद्वाज, अवसर सचिव

#### DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 23rd April, 1981

**G.S.R. 437.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Parliamentary Affairs (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Parliamentary Affairs (Recruitment and Conditions of Service) (Third Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) They shall come into force on the date of their publication and Conditions of Service) Rules, 1963, in rule 4, for sub-rule 8, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(8)(a) Ten per cent of the vacancies in the grade of Lower Division Clerk shall be filled by appointment by promotion of Group 'D' employees (borned on regular establishment) of the Department in the following manner, namely :—

(i) Five per cent of the vacancies may be filled on the basis of qualifying examination held for the purpose by the Staff Selection Commission from amongst Group 'D' employees who have rendered at the crucial date not less than five years regular service in the grade, possess at least Matriculation or equivalent qualification and are within 45 years of age (50 years in the case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes).

(ii) Five per cent of the vacancies may be filled on the basis of seniority, subject to the rejection of the unfit, from amongst those Group 'D' employees of the Department who have rendered not less than 5 years' regular service in the grade and who have passed the Matriculation or an equivalent examination of a recognised Board or University :

Provided that to the extent to which sufficient number of qualified candidates are not available for appointment on the result of such examination mentioned in clause (i) or for Promotion as mentioned in clause (ii), the vacancies may be filled by direct recruitment on the result of a competitive examination held for the purpose by the Staff Selection Commission :

Provided further that if more of such employees than the number of vacancies available under clause (i) qualify at the said examination such excess employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent

years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

(b) Ninety per cent of the vacancies in the grade of lower Division Clerks or such higher percentage as may be determined by the Department in accordance with the proviso to clause (a) shall be filled by direct recruitment on the result of a competitive examination held for the purpose by the Staff Selection Commission :

NOTE :—The persons appointed to the grade shall rank inter-se in the following manner, namely :—

- (i) Those appointed under clause (a)(i) of this sub-rule shall rank inter-se in the order in which their names are arranged in a single list by the Staff Selection Commission on the basis of their seniority in the parent Group 'D' post, the employees holding posts in a higher grade to rank senior to those in the lower grade.
- (ii) Those appointed under clause (a)(ii) of this sub-rule shall rank inter-se in the order of their seniority in the lower grade, the employees holding posts in a higher grade to rank senior to those in the lower grade.
- (iii) The inter-se seniority of person referred to in items (i) and (ii) shall be in the ratio of 1 : 1, that is to say, that the persons in these categories shall be arranged by taking alternately one person each from amongst the categories of persons specified in items (i) and (ii).
- (iv) Those appointed under clause (b) of this sub-rule shall rank inter-se in the order of merit in which they are placed at the competitive examination on the results of which they are recruited, the recruits of an earlier competitive examination being ranked senior to those of a later examination.
- (v) The inter-se seniority of persons referred to in items (i), (ii) and (iv) shall be regulated according to the quotas fixed for each of the groups, in accordance with a roster maintained by the Department starting with one person referred to in item (i) followed by 9 from item (iv) and one person from item (ii) followed by 9 from item (iv) and so on.
- (vi) The seniority of persons qualifying for appointment under clause (a)(i) of this sub-rule in excess of the number of vacancies available for that year and who are to be adjusted against the vacancies in subsequent year and those appointed in subsequent year under clause (b) of this sub-rule shall also be regulated in the manner provided in item (v) :

Provided that seniority of persons recruited on the result of the competitive examination held under clause (b) in whose cases offers of appointment are revived after being cancelled and those appointed under the proviso to clause (b) shall be such as may be determined by the Department.

(c) Notwithstanding anything contained in clause (a) or clause (b) the appointing authority may fill not more than 5 per cent of the vacancies in the grade of lower Division Clerk arising in a year, by appointment of a son or daughter or spouse or brother or sister of a Government servant who dies during the period of his service and the person so appointed shall be ranked junior to the persons who are

recruited on the basis of competitive examinations held in that year.

Provided that the seniority of persons appointed to the grade under this clause shall rank inter-se according to the date of appointment".

[No. F. 4(3)/80-Admn.]

M. L. AHUJA, Under Secy.

## विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1980

सांकांनि० 438[585.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के धारा 27 के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सांकांनि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, अंक आंध्र प्रदेश से संबंधित मद सं० 1 के सामने, उच्च न्यायालय से संबंधित उप मद (क) के स्तम्भ की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी ; अर्थात् :—

- "(1) श्री के०एस० रेड्डी,  
केन्द्रीय सरकार का ज्येष्ठ काउन्सेल।
- (2) श्री के० नागराज राव,  
केन्द्रीय सरकार का अपर स्थायी काउन्सेल।
- (3) श्री भार श्रीरामलू,  
केन्द्रीय सरकार का अपर स्थायी काउन्सेल।"

[फा०सं० 36(3)/77 न्या०]

के०सी०डी० गंगवानी, अपर विधि सलाहकार०

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 10th April, 1981

### NOTIFICATION

G.S.R. 438/585.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the first schedule of the Code of Civil procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law (Department of Legal Affairs), notification No. GSR 1412, dated the 25th November, 1960, namely:—

In the schedule to the said notification, against item No. 1 relating to 'Andhra Pradesh' in sub-item (a) relating to 'High Court', in column 2, the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

- "1. Shri K. S. Reddy,  
Senior Central Government Advocate.
- ii. Shri K. Nagaraja Rao,  
Additional Central Government Standing Counsel.
- iii. Shri R. Shri Ramulu,  
Additional Central Government Standing Counsel."

[F. No. 36(3)/77-Jud.]

K. C. D. GANGWANI, Additional Legal Advisor.

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1981

सा० का० नि० 439.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सहायक निदेशक (विधि) भर्ती नियम, 1973 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सहायक निदेशक (विधि) भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सहायक निदेशक (विधि) भर्ती नियम, 1973 को अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	पयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक (विधि)	3	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	भारतीय पुलिस सेवा के अधि-कारियों के लिए (क) भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतन-मान/चयन श्रेणी में वेतन और 300 रु० प्रतिमास विशेष वेतन (इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वेतन और विशेष वेतन 2000 रु० से अधिक न हो।) (ख) सेवारत न्यायिक अधिकारियों के लिए : न्यायिक अधिकारियों के श्रेणी वेतनमान में 150 रु० प्रतिमास जोड़ने के पश्चात् 1500-60-1800-100-2000 रु० के वेतनमान में वेतन अथवा मूल विभाग में श्रेणी वेतन और अधिकतम 250 रु० प्रतिमास के अधीन रहते हुए 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (श्युटी) भत्ता नियत किया जाएगा और यह कि मूल विभाग में वेतन और प्रतिनियुक्ति (श्युटी) भत्ता, प्रतिनियुक्ति पर धारित पद के अधिकतम वेतनमान से अधिक नहीं होना चाहिए। (ग) भारतीय पुलिस सेवा/न्यायिक से भिन्न अधि-कारियों के लिए : 1100-50-1600 रु० का वेतनमान और 200 रु० प्रतिमास विशेष वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने परीक्षा की अवधि भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किन  
वाले व्यक्तियों के यदि कोई हो प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ समिति है तो उसकी संरचना परिस्थितियों में संघ  
लिए विहित आयु स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्था- लोक सेवा आयोग से  
और शैक्षिक अर्हताएं पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली नास्तरण किया जाएगा परामर्श किया जाएगा  
प्रोन्नति की दशा में रिक्तियों की प्रतिशतता लागू होगी या नहीं

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/ स्थानान्तरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/ स्थानान्तरण	(पुष्टि पर विचार करने के लिए)	प्रत्येक अवसर पर चयन जिसके अन्त-
			(क) राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे सबस्य जिन्होंने उस रूप में पांच वर्ष सेवा कर ली है।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :	गत स्थानान्तरण पर नियुक्ति के लिए चयन भी है, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।
			(ख) भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो ज्येष्ठ समय वेतनमान में कार्य कर रहे हैं और जिनके पास विधि में उपाधि है।	(1) सबस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष	इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशो- धित/शिथिल करते समय भी संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
			(ग) केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों से पुलिस उप-अधीक्षक या तत्समान रैंक के पुलिस अभियोजक के रैंक के ऐसे अधि-कारी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम आठ वर्ष सेवा कर ली है, जिनके पास विधि में उपाधि है और पांच वर्ष का अभियोजन कार्य का अनुभव है। प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(2) निदेशक, सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी —सदस्य	
				(3) संयुक्त सचिव (पी) एस एच —सबस्य	
				टिप्पण :—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु, यदि आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है, तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सबस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	
			टिप्पण : भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी स्थानान्तरण पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।		

[सं. 10/13/75-डी प्रो (पर्स-2)]

गोपाल कृष्ण, डेस्क अधिकारी

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st April, 1981

**G.S.R. 439.**—In exercise of the powers by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Assistant Director (Law) Recruitment Rules, 1973.

1. (1) These rules shall be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Assistant Director (Law) Recruitment (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. For the Schedule to the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Assistant Director (Law) Recruitment Rules, 1973, the following Schedule shall be substituted, namely:—

## SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-Selection Post.	Age limit for direct recruitment.	Whether benefit of added year of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) (Rules), 1972	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6(a)	7
Assistant Director (LAW)	3 (1981) Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A' Gazetted	For I.P.S. Officers (a) Pay in the Senior Scale/Selection Grade of I.P.S. plus a special pay of Rs. 300/-p.m. (Subject to the condition that pay plus Special pay does not exceed Rs. 2000/-) (b) For serving Judicial Officers. Pay will be fixed in the scale of Rs. 1500-60-1800 - 100 - 2000, after adding Rs. 150/- p.m. to the grade pay of Judicial Officers or grade pay in the parent department plus deputation (duty) allowance subject to a maximum of Rs. 250/- p.m. and that the pay in parent department plus deputation (duty) allowance should not exceed the maximum of the scale of pay of the post held on deputation. (c) For non-IPC/Non Judicial Officers In the scale of Rs. 1100-50-1600 plus special pay of Rs. 200/- p.m.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making rectt.		
8	9	10	11	12	13		
N.A.	N.A.	By transfer on deputation/transfer.	Transfer on deputation/transfer (a) Members of the State Judicial Service with 5 years service as such;	(1) Member, U.P.S.C.—Chairman. (2) Director, SVPNPA—Member (3) Jt. Secretary (P)	Selection on each occasion including selecting an Officer for appointment		

11

12

13

(b) Indian Police Service Officers working in senior-time scale/Selection Grade and possessing a degree in Law.

(c) Officers of the rank of Deputy Superintendent of Police or Police Prosecutor of corresponding rank from the Central or State Police Organisations with at least 8 years service in the grade, having a degree in Law and 5 years' experience of prosecuting work. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).

Note : Officers of the Indian Police Service shall not be eligible for appointment on transfer.

MHA—Member on transfer Note: The Proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held. The Union Public Service Commission shall also be consulted while amending/relaxing any of the provisions of rules.

[No. 10/13/75-DO(Pers. II)]  
GOPAL KRISHAN, Desk Officer

### भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1981

सं०का०नि० 440.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्परा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के महापंजीकार और पदेन जनगणना आयुक्त के कार्यालय (ग्रुप ग पद) भर्ती नियम, 1970 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महापंजीकार और पदेन जनगणना आयुक्त के कार्यालय (ग्रुप ग पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारत के महापंजीकार और पदेन जनगणना आयुक्त के कार्यालय (ग्रुप ग पद) भर्ती नियम, 1970 की अनुसूची में, सहायक संकलनकर्ता के पद से सम्बन्धित मद संख्या 3 के समक्ष,

(क) कालम 10 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“सीधी भर्ती द्वारा —65 प्रतिशत

पदोन्नति द्वारा —10 प्रतिशत

स्थानान्तरण द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी

भर्ती द्वारा —25 प्रतिशत” ; और

(ख) कालम 11 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“पदोन्नति : 10 प्रतिशत रिक्तियाँ, भारत के महापंजीकार और पदेन जनगणना आयुक्त के कार्यालय में नियमित रूप से कार्यरत ग्रुप ग के ऐसे कर्मचारियों के द्वारा भरी जाने के लिए धारक्षित की जाएगी जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन कालम 7 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों :—

(क) अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष होगी (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष) ;

(ख) ग्रुप ग पद पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी। इस तरीके से भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या एक वर्ष के दौरान सहायक संकलनकर्ता के ग्रेड में हुई रिक्तियों की 10 प्रतिशत होगी और इस तरीके से भरी गई रिक्तियों को अगले वर्ष के लिए अग्रणी नहीं किया जाएगा।

स्थानान्तरण :—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालयों में समान या समतुल्य पदों पर कार्यरत उपयुक्त कर्मचारी।

[सं० 4/4/80-प्रशा 1]

श्री पद्मनाभ,

भारत के महापंजीकार और पदेन जनगणना आयुक्त तथा गृह मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

### OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 20th April, 1981

G.S.R. 440.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India (Group C posts) Recruitment Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India (Group C posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India (Group C posts) Recruitment Rule, 1970, against item 3 relating to the post of Assistant Compiler.

(a) in column 10, for the existing entries the following shall be substituted namely:—

“By direct recruitment —65 per cent  
By promotion —10 per cent

By transfer, failing which by direct recruitment —25 per cent"; and

(b) in column 11, for the existing entries the following shall be substituted, namely:—

"Promotion: 10 per cent of the vacancies shall be reserved for being filled up by Group 'D' employees borne on the regular establishment of the office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India, who fulfill the conditions prescribed in column 7, subject to the following conditions:—

- (a) the maximum age limit for consideration would be 45 years (50 years for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates);
- (b) at least 5 years' service in a Group 'D' post would be essential. The maximum number of recruits by this method would be limited to 10 per cent of the vacancies in the grade of Assistant Compilers occurring in a year and unfilled vacancies would not be carried over.

Transfer: Suitable officials holding similar or equivalent posts in the Directorates of Census Operations in the States/Union Territories."

[No. 4/4/80-Ad. I]

P. PADMANABHA, Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India and ex-officio Jt. Secy.

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 1981

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सा० का० नि० 441.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का अधीन संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (13वां संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में,

(क) नियम 52 में, निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु जहाँ कारखाने से अपसारण बारंबार होता है और विनिर्माता नियम 9 के अधीन शुल्क के संदाय के लिए रखे गए अपने जालू खाते में पर्याप्त जमा अतिशेष रखता है, वहाँ सहायक कलक्टर, विनिर्माता के अनुरोध पर, लिखित आवेदन द्वारा, नियम 52-क के अधीन यथा-विहित प्रवेश पत्र के दिखाने पर, माल के अपसारण की ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करने पर, जो कलक्टर इस बाबत विहित करे, अनुज्ञा दे सकता है।"

(ख) नियम 93 के उपनियम (ग) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु जहाँ कारखाने से अपसारण बारंबार होता है और विनिर्माता नियम 9 के अधीन शुल्क के संदाय के लिए रखे गए अपने जालू खाते में पर्याप्त जमा अतिशेष रखता है, वहाँ सहायक कलक्टर, विनिर्माता के अनुरोध पर लिखित आवेदन द्वारा, नियम 52-क के अधीन यथा-विहित प्रवेश पत्र के दिखाने पर, माल के अपसारण की ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करने पर, जो कलक्टर इस बाबत विहित करे, अनुज्ञा दे सकता है।"

[अधिसूचना सं० 109/81-के०उ०शु०/फा० सं० 202/12/81-सी एक्स-6]

डी० मेहता, अधीन सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 2nd May, 1981

### CENTRAL EXCISES

G.S.R. 441.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (13th Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944.

(a) in rule 52, the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that where removals from a factory are frequent and the manufacturer maintains a sufficient credit balance in his account current maintained under rule 9 for payment of duty, the Assistant Collector may, on a request by the manufacturer, permit, by an order in writing, removal of goods on presentation of a gate-pass as prescribed under rule 52A, subject to the observance of such procedure as may be prescribed in this regard by the Collector."

(b) in sub-rule (c) of rule 93, the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that where removals from a factory are frequent and the manufacturer maintains a sufficient credit balance in his account current maintained under rule 9 for payment of duty, the Assistant Collector may, on a request by the manufacturer, permit by an order in writing, removal of goods on presentation of a gate-pass as prescribed under rule 52A, subject to the observance of such procedure as may be prescribed in this regard by the Collector."

[Notification No. 109/81-CE[F. No. 202/12/81-CX[6]

D. MEHTA, Under Secy.

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

Central Boilers Board

New Delhi, the 16th April, 1981

G.S.R. 442.—Whereas certain regulations, further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, were published as required by sub-section (1) of section 31 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923) at pages 1800-1801 of the Gazette of India, Part II-Section 3-Sub-Section (i), dated the 9th August, 1980 under the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (Central Boilers Board) No. GSR 835 dated the 21st July, 1980 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the 6th October, 1980.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 23rd August, 1980.

And whereas the objections and suggestions received from the public were considered by the Central Boilers Board.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations 1950 namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Boiler (Third Amendment) Regulations, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.



2. In the Indian Boiler Regulations, 1950 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulations 10, for clause (a) the following shall be substituted namely:—

“(a) The steel shall not contain more than 0.05 per cent of sulphur or phosphorus and the Oxygen process steel shall in addition not contain more than 0.009 per cent of nitrogen.”

3. In the said regulations, in regulation 36, for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

(a) “Material process.—The tubes shall be seamless and made of steel produced by an Open Hearth or Electric process or any of the oxygen processes. The steel shall not contain more than 0.05 per cent of sulphur or phosphorus and the oxygen process steel shall in addition not contain more than 0.009 per cent of nitrogen. The manufacturers shall supply a certificate of analysis when required to do so.”

4. In the said regulations, in regulation 48, in clause (a) for the words “The tubes shall be manufactured from steel produced by the Open Hearth or Electric process”, the following words shall be substituted, namely:—

“The tubes shall be manufactured from steel produced by the Open Hearth or Electric Process or any of the Oxygen Processes.”

5. In the said regulations, in regulation 53, in clause (a), for the words “The tubes shall be manufactured from steel produced by the Open Hearth or Electric process”, the following shall be substituted, namely:—

“The tubes shall be manufactured from steel produced by the Open Hearth or Electric process or any of the Oxygen processes.”

6. In the said regulations, in regulation 58, for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

“(a) Material process.—The steel shall be produced by an Open Hearth or Electric process or any of the Oxygen processes. The steel shall not contain more than 0.05 per cent of sulphur or of phosphorus and the Oxygen process steel shall in addition not contain more than 0.009 per cent of nitrogen.”

7. In the said regulations, in regulation 74, in clause (b), the following shall be added at the end, namely:—

“The steel shall comply with the chemical composition specified in the table above and the oxygen process steel shall in addition not contain more than 0.009 per cent of nitrogen.”

8. In the said regulations, in regulation 81, for clause (b), the following shall be substituted namely:—

“(b) Chemical analysis.—The steel shall not contain more than 0.05 per cent of sulphur or of phosphorus and oxygen process steel shall in addition not contain more than 0.009 per cent of nitrogen.”

9. In the said, regulations in regulation 360, for clause (b) the following clause shall be substituted, namely:—

“(b).—Where pipes are but welded together such welds shall be effectively stress relieved only when a wall thickness exceeds 20mm or carbon content of the material exceeds 0.25 per cent or pipes are made of alloy steel in accordance with the following:—

(i) For carbon steel, a stress relieving heat treatment shall be performed by heating the part to at least  $600 \pm 20^\circ\text{C}$ .

When required by the characteristics of the material, different temperatures may be necessary to obtain proper stress-relieving. The part to be stress relieved shall be brought slowly up to the specified temperature and held at that temperature for a period proportionate on the basis of at least 2-1/2 minutes per millimeter of the maximum thickness of the per millimeter of the maximum thickness of the millimeter of thickness) and shall be left to cool in the furnace to a temperature which, for

parts with thickness greater than 20 millimeter does not exceed  $400^\circ\text{C}$ . After withdrawal from the furnace, the part shall be allowed to cool in a still atmosphere.

A temperature-time diagram of the stress-relieving process shall be provided when the Inspecting Authority requires it.

(2) For alloy steel a stress-relieving heat treatment shall be carried out on the basis of the composition of the alloy as shown in the table below:—

TABLE		
Types of steel	Range of temperature	Time at temperature per 25mm of thickness of plate.
$\frac{1}{2}\text{Cr } \frac{1}{2}\text{MO}$	$620^\circ\text{C} - 650^\circ\text{C}$	1 Hour (1 hour min.)
$1\text{Cr } \frac{1}{2}\text{MO}$	$620^\circ - 660^\circ\text{C}$	1 Hour (1 hour min.)
$2\frac{1}{2}\text{Cr } 1\text{MO}$	$625^\circ - 750^\circ\text{C}$	1 Hour (1 hour min.)

Note :—This wide range for the post-weld heat treatment temperature is necessary because of the marked dependence of the mechanical properties of this steel on the tempering temperature. In production of definite temperature with a tolerance of  $\pm 20^\circ\text{C}$  would be selected to ensure that the mechanical properties upon which the design was based are in fact achieved.”

Heat treatment shall be carried out by one of the following methods:

(i) Local heating using a portable muffle induction coils, or other suitable heating appliance. Particular care shall be taken to apply heat uniformly over the area to be treated. The use of procedures that do not provide adequate control for this purpose, such as manual operation of gas torches, is not permissible. The temperature shall be maintained symmetrically over peripheral band of metal of a minimum width of three times the width of the butt welded preparation. The temperature shall be measured by thermocouples pinned, welded or otherwise, suitably attached to the surface of the pipe and, where necessary, protected from flame impingement.

(ii) Heating in stationary furnace.—The temperature of the joint shall be measured by thermo couples so disposed within the furnace as to give a true measure of the joint temperature.”

10. In the said regulation, in Appendix ‘G’, in the list of “Well known Steel Makers”, the following shall be added at end, namely:—

“66. M/s. Bokaro Steel Ltd.,

Main Administrative Building,

Bokaro Steel City-1.

Distt. Dhanbad (Bihar).”

[F. No. 6(17)/74-Boilers]

S. C. DEY, Secy., Central Boilers Board.

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई, 17 अक्टूबर, 1979

सां.कां.निं. 443.—परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का. 33वां) की धारा 3 की उप-धारा 1 के खण्ड (ब) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के परिशिष्ट के रूप में वी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति को ऐसे उपस्करों के रूप में निहित करती है जिसके बारे में सरकार का अभिमत है कि उन्हें किस विहित पदार्थों के उत्पादन या प्रयोग के लिए प्रयुक्त परमाणु ऊर्जा, रेडियो सक्रिय पदार्थों,

अथवा विकिरण के उत्पादन अथवा उपयोग के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित अथवा अनुकूलित किया गया है अथवा उपयोग में लाने का विचार है।

### अनुसूची

1. न्यूक्लीय रिएक्टर : उनसे संबंधित ऐसे उपस्कर : संघटिक और तंत्र जिन्हें ऐसे रिएक्टरों के लिए विशेष प्रकार से अभिकल्पित अथवा अनुकूलित किया गया है अथवा उपयोग में लाया जाता है अथवा उपयोग में लाने का विचार है।

2. विहित पदार्थों का संसाधन करने के काम आने वाले संयंत्र ; उन संयंत्रों से संबंधित ऐसे उपस्कर, संघटक, और तंत्र जिन्हें ऐसे संयंत्रों के लिए विशेष प्रकार से अभिकल्पित अथवा अनुकूलित किया गया है अथवा उपयोग में लाने का विचार है।

3. किरणयित न्यूक्लीय ईंधन का पुनः संसाधन करने वाले संयंत्र और न्यूक्लीय रिएक्टरों से अथवा विहित पदार्थों का संसाधन करने वाले संयंत्रों से अथवा न्यूक्लीय पुनः संसाधन संयंत्रों से निकलने वाले रेडियो सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों का शोधन करने वाले संयंत्र ; उन संयंत्रों से संबंधित ऐसे उपस्कर ; संघटक और तंत्र जिन्हें ऐसे संयंत्रों के लिए अभिकल्पित अथवा अनुकूलित किया गया है अथवा उपयोग में लाया गया है अथवा उपयोग में लाने का विचार है।

4. निम्नलिखित के हस्तान्तरण, भंडारण तथा परिवहन में विशेष रूप से प्रयुक्त उपस्कर हैं —

- (क) न्यूक्लीय रिएक्टरों अथवा विहित पदार्थों का संसाधन करने वाले संयंत्रों अथवा न्यूक्लीय पुनः संसाधन संयंत्रों से निकलने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ ;
- (ख) किरणयित न्यूक्लीय ईंधन ;
- (ग) प्लूटोनियम ;
- (घ) प्लूटोनियम-युक्त ईंधन।

5. न्यूट्रॉन जेनरेटर, जिनमें सभी प्रकार की न्यूट्रॉन चैन रिएक्टरों अथवा संयंत्रों अथवा संयंत्रों शामिल हैं।

6. प्रावर्धित कणों के त्वरण के लिए कण त्वरक, जिनमें 20 मेगावोल्ट अथवा इससे कम ऊर्जा वाले अन्य त्वरक शामिल नहीं हैं, बशर्ते कि ऐसे त्वरकों का उपयोग न्यूट्रॉन जेनरेटरों के रूप में न किया जाता हो।

7. 10,000 मेगावाट क्षमता और 100 जूल ऊर्जा से अधिक उत्पन्न करने वाले हाई पावर लेसर।

[सं० 1/9(4)/79-ओ एण्ड एम]  
एस० स्वामीनाथन, भवर सचिव

### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay, the 17th October, 1979

**G.S.R. 443.**—In pursuance of clause (f) of sub-section (1) of section 2 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), the Central Government hereby prescribes the property specified in the Schedule appended hereto as equipment which in its opinion is specially designed or adapted or which is used or intended to be used for the production or utilisation of any prescribed substance, or for the production or utilisation of atomic energy, radioactive substances, or radiation.

### SCHEDULE

1. Nuclear Reactors; associated equipment, components, and systems specially designed or adapted or used or intended to be used in such reactors.

2. Plans for processing of prescribed substances; associated equipment, components and systems specially designed or adapted or used or intended to be used in such plants.

3. Plants for reprocessing of irradiated nuclear fuel and plants for treatment of radioactive wastes from nuclear reactors or from plants for processing prescribed substances or from nuclear reprocessing plants; associated equipment, components and systems specially designed or adapted or used or intended to be used in such plants.

4. Equipment specially used for handling, storage and transportation of:—

- (a) radioactive wastes from nuclear reactors or from plants for processing prescribed substances or from nuclear reprocessing plants;
- (b) irradiated nuclear fuel;
- (c) plutonium;
- (d) plutonium containing fuel.

5. Neutron generators including neutron chain reacting assemblies and fusion assemblies of all kinds.

6. Particle accelerators for accelerating charged particles, but excluding electron accelerators of 20 MeV or less energy and other accelerators of 5 MeV or less energy, provided such accelerators are not used as Neutron generators.

7. High power lasers giving more than 10,000 MW power and 100 Joules energy.

[No. 1/9(4)/79-O&M]

S. SWAMINATHAN, Under Secy.

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संचालन

(स्वास्थ्य विभाग)

गुडि पत्र

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1981

सां०कां० 444.—भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संचालन की खास अधिमिश्रण निवारण (छटा संशोधन) नियम 1980 के बारे में भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 22 दिसम्बर, 1980 के पृष्ठ 1499-1501 [(वेधिए सां०कां० 710 (अ))] में प्रकाशित 22 दिसम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या पी० 15014/1/78-पी०एच० (एफ०एण्ड एन०) (पी०एफ०ए०) में कुछेक अशुद्धियाँ रह गई थी जिसका शुद्ध रूप इस प्रकार है:—

(1) उक्त अधिसूचना की उद्देशिका के प्रथम पैरा में "2 नवम्बर" को "3 नवम्बर" पढ़ें।

(2) नियम 2 में—

- (1) पहली पंक्ति में "नयम" को "नियम" पढ़ें।
- (2) तीसरी पंक्ति में, "(1-क)" को "(1-ख)" पढ़ें।
- (3) पाँचवीं पंक्ति में 'अतःस्थापित' को 'अन्तःस्थापित' पढ़ें।
- (4) सारणी के स्तम्भ (2) के नीचे "1(ख)" के स्थान पर "(1ख) रखें"।

(3) नियम 3 में—

- (1) प्रथम पंक्ति में मद "17.17" को मद "क. 17.17" पढ़ें।
- (2) द्वितीय पैरे में "17.18" को "क.17.18" पढ़ें।
- (3) मद 17.18 की तीसरी पंक्ति में, "प्रासिका" को "प्रासिका" पढ़ें।
- (4) मद 17.18 के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति में "प्रासिका" को "प्रासिका" पढ़ें।
- (1) मद 17.18, पृष्ठ 1500, द्वितीय पंक्ति में "मल मिलार्येगा" को "जल, मित्तये गये" पढ़ें।

- (6) मव 17.18 खंड (ख) में "विजा" को "विज" पढ़ें।
- (7) मद 17.19, खंड (ड) की सम्मुख प्रविष्टि में "1.2 प्रतिशत से अधिक" को "1.2 प्रतिशत से अनधिक" पढ़ें।
- (8) मद क.17.19 के खंड (च) के पञ्चान द्वितीय पंक्ति में "बहु" को "बहु" पढ़ें।
- (9) मद क.17.20 द्वितीय पैरा की अंतिम पंक्ति में "क से कम ही होगा" को "से कम नहीं होगा" पढ़ें।
- (10) मद क.17.21 के खंड (ग) की सम्मुख प्रविष्टि में "30" को "3.0" पढ़ें।
- (11) मद क. 17.21 के खंड (ङ) के पञ्चान द्वितीय पंक्ति में "मानक" को "मानव" पढ़ें।
- (12) मव "का." 17.22 को "क 17.22" और खंड (ङ) के पञ्चान द्वितीय पंक्ति में "मानवीय" को "मानव" पढ़ें। और चौथी पंक्ति में "125° से 0°" में को "250° से 0°" पढ़ें।

[सं० पी० 15014/1/78-पी०एच० (एफ एण्ड एफ) पी.एफ.ए.]

जी० पंचापकेशन, प्रवर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th April, 1981

G.S.R. 444.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, (Department of Health) No. GSR 710(E), dated the 22nd December, 1980, Rules 1980 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 22nd December 1980 at page 1501-1502,—

(1) at page 1501, Column 2,—

(i) line 4, for "varietiesf" read "varities cf";

(ii) in line 14, for "Wij's" read "Wijs'";

(iii) in line 20, for "fatty" read "Fatty";

(iv) in item A. 17.19, line 11, for "Wij's" read "Wijs' " and in last line for "Pensakey" read "Pensky";

(2) at page 1502, Column 1,—

(i) in line 7, for "Wij's" read "Wijs'";

(ii) in item A. 17.21, line 3 for "for" read "or"

(iii) in item A. 17.21, line 10, for "Wij's" read "Wijs'";

(3) at page 1502, column 2,—in item A. 17.22,—

(i) line 3, for "composite" read "compositae";

(ii) line 10, for "Wij's" read "Wijs' ".

[No. P. 15014/1/78-PH(F&amp;N)PFA]

G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

## कृषि संज्ञासूच

(आद्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1981

सं० का० नि० 445.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (समूह क और समूह ख पद) भर्ती नियम 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इस निमर्मा का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर (समूह क और समूह ख पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 1964 की अनुसूची में क्रम सं० 29 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	6क	7
"29 चीनी इंजी-नियरी में प्राध्यापक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित	650-30-740-35-810-35-880-40-1000 व०रो०-40-1200 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)। (टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे बिना जो अस्वस्थ और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की यांत्रिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य। (ii) किसी बड़ी कर्मशाला में अधिमानतः चीनी विनिर्माण मशीनरी की या किसी बड़े चीनी कारखाने में या किसी मान्यताप्राप्त चीनी संस्थान में काम करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुप्रसिद्ध अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी  
अर्हता (अर्हताएं)  
संघ लोक सेवा आयोग के  
विवेकानुसार अनुसूचित  
जातियों/अनुसूचित जन-  
जातियों के अध्ययन  
के मामले में उस देश में  
शिक्षण की जा सकती  
है (है), जबकि अन्य  
के किसी प्रश्न पर  
संघ लोक सेवा आयोग  
की यह राय हो कि  
इनके लिए आरक्षित  
रिक्त स्थानों को भरने  
के लिए अपेक्षित अनु-  
भव रखने वाले इन  
समुदायों के अध्ययन  
पर्याप्त संख्या में उप-  
लब्ध नहीं हो सकेंगे।

वांछनीय

अध्यापक अनुभव।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति। 1 संयुक्त सचिव (बीनी) खाद्य विभाग —अध्यक्ष 2 निदेशक, राष्ट्रीय बीनी सरधान, कामपुर —सदस्य 3 उप सचिव, खाद्य विभाग —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुसंधानार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	सीधी भर्ती करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिक्षण करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

## MINISTRY OF AGRICULTURE

## (Department of Food)

New Delhi, the 20th April, 1981.

**G.S.R. 445** —In exercise of powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Sugar Institute, Kanpur (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Sugar Institute, Kanpur (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1964, in the Schedule, for Serial Number 29 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	6a	7
'29. Lecturer in Sugar Engineering.	One	General Central Service Group 'B' Gazetted,	Rs. 650-30-740-35-810-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not Applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No.	Essential (i) Degree in Mechanical Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) Two years' experience of working in a large workshop, preferably of sugar manufacturing machinery or in a large sugar factory or in a recognised sugar institute. Note : 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note: 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: Teaching Experience.
8	9	10	11	12	13		
Not applicable	2 years.	By direct recruitment.	Not Applicable	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):--	Union Public Service Commission shall be consulted		

8

9

10

11

12

13

1. Joint Secretary (Sugar), Department of Food—Chairman
2. Director, National Sugar Institute, Kanpur—Member
3. Deputy Secretary, Department of Food—Member

While making direct recruitment and amending/relaxing any of the provisions of these rules."

Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[No. A. 12018/1/80-Sugar Desk-I]  
N. THYAGRAJAN, Under Secy.

### नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(वतन पक्ष)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1981

सं० का० वि० 446.—सहायन न्याय अधिनियम, (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनवद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्तन के न्यासी-मण्डल द्वारा निर्मित और केरल सरकार के तारीख 6 मार्च, 1979 और 13 मार्च, 1979 के राजपत्र में प्रकाशित कोचीन पत्तन कर्मचारी अवकाश-यात्रा रियायत दूसरा संशोधन विनियम, 1978 का अनुमोदन करती है उक्त विनियम 1 नवम्बर 1978 को लागू होगा।

[सं० पी० डब्ल्यू०/पीईएस-29/79]

आर० टी० पाण्डे, अवर सचिव

### MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 20th April, 1981

G.S.R. 446.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124 read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approve of the Regulation entitled Cochin Port Employees (Leave-Travel Concession) Second Amendment Regulations, 1978 made by the Board of Trustees of the Cochin Port in exercise of the powers conferred by Section 28 read with sub-section (2) of Section 124 of the said Act and published in the Kerala Government Gazette dated 6th March 1979 and 13th March, 1979.

The said Regulations shall be deemed to have come into force from the 1st day of September, 1978.

[No. PW/PEX-29/79]

R. T. PANDEY, Under Secy.

### पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1981

सं० का० वि० 447.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत मौसम विज्ञान विभाग (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत मौसम विज्ञान विभाग (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में—

सुरक्षा उप निरीक्षक के पद से सम्बन्धित क्रम सं० 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद प्रथम या प्रथम पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
"24 (क) अभिलेखपाल	* 5	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराज-पत्रित लिपिक वर्गीय	र० 225-5-260-6-326-र० र०-8 350	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
24 (ख) अभिलेख छटाईकार	* 2	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिक वर्गीय	र० 210-4-250-द० र०-5-270	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

\* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की वषा में लागू होगी या नहीं	परिक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली निमित्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वषा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति	ऐसे अभिलेख छटाईकार जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा या अभिलेख छटाईकार और दफ्तरी के रूप में 6 वर्ष की सेवा या दफ्तरी के रूप में सेवा की है और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, अर्थात : 1. मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. अभिलेख प्रबन्ध में 3 का अनुभव हो।	कार्यालय प्रधान —अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य किसी अन्य विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति	ऐसे दफ्तरी जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, अर्थात :— 1. अंग्रेजी और हिन्दी/प्रादेशिक भाषा पढ़ और लिख सकता हो। 2. फाइलों और अभिलेख के अनुसंधान का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।	प्रशासनिक अधिकारी —अध्यक्ष एक राजपत्रित अधिकारी —सदस्य किसी अन्य विभाग का राजपत्रित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।"

[सं० ई(2) 109/03 (तृतीय और चतुर्थ श्रेणी)/एस०एफ०एस०/1/80]

एस० के० दास,

भौसम विज्ञान के अपर महाविशेषक (उपकरण) जो भौसम विज्ञान के उपमहाविशेषक (प्रशासन और संयंत्र) का भी कार्य कर रहे हैं।

## MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

(India Meteorological Department)

New Delhi, the 20th April, 1981

**G.S.R. 447**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the India Meteorological Department (Group C and Group D Posts) Recruitment Rules 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the India Meteorological Department (Group C and Group D posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the India Meteorological Department (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1971 after serial number 24 relating to the post of Security Sub-Inspector and the entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

## SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24-A. Record Keeper	*5	General Central Services Group C Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 225-5-260-6-326-EB-8-350	Non-Selection	Not applicable	Not applicable
24-B. Record Sorter	*2	General Central Services Group D Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 210-4-150-EB-5-270	-do-	-do-	-do-

\*subject to variation dependent on workload.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	2 years	Promotion	Record Sorter with 3 years regular service in the grade or with 6 years combined service as Record Sorter and Daftry or as Daftry fulfilling the following conditions:— (i) Should have passed Middle School examination. (ii) Should have 3 years experience in record management.	Head of Office : Chairman Administrative Officer : Member One Gazetted Officer from another Department : Member	Not applicable
Not applicable	2 years	Promotion	Daftry with 3 years regular service in the grade fulfilling the following conditions:— (i) should be able to read and write English and Hindi/Regional Language. (ii) experience of at least 2 years in maintenance of files and records.	Administrative Officer : Chairman One Gazetted Officer : Member One Officer from another Department : Member	Not applicable

[No. E(2)109/03(Group C/D)/SFS-I/80.]  
S. K. DAS, Additional Director General of Meteorology (Instruments) performing the duties of Deputy Director General of Meteorology (Administration & Stores)



**अथ मंत्रालय**

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1981

सा० का० नि० 448.—केन्द्रीय सरकार लोह भयस्क खान और मैंगनीज भयस्क खान अथ कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोह भयस्क और मैंगनीज भयस्क खान अथ कल्याण विधि नियम, 1978\* में संशोधन करने के लिए कतिपय नियम बनाना चाहती है, जिनका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उन सभी लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त नियमों के प्राप्ति पर इन अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पचासीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख की समाप्ति से पूर्व उक्त नियमों के प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से जो भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उस पर विचार करेगी।

**नियमों का प्रारूप**

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोह भयस्क खान और मैंगनीज भयस्क खान अथ कल्याण निधि (संशोधन) नियम 1981 है।
2. लोह भयस्क खान और मैंगनीज भयस्क खान अथ कल्याण निधि नियम, 1978 की धारा 3 में ;

I. उप नियम (क) के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) अध्यक्ष”;

II. उप नियम 2(क) के खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ii) उपाध्यक्ष”।

[सं० एस-23025/2/81-एम-IV]

रामेन्द्र कुमार दास, मन्त्र सचिव

\*भारत सरकार के अथ मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1064 तारीख 9 अगस्त, 1978 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) तारीख 26 अगस्त, 1978 में पृष्ठ 1927—1955 पर प्रकाशित।

**MINISTRY OF LABOUR**

New Delhi, the 16th April, 1981

G.S.R. 448.—The following draft of certain rules to amend the Iron Ore Mines Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Rules, 1978\* which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 12 of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (No. 61 of 1976) is hereby published as required by sub-section (1) of section 12 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules on or before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

**DRAFT RULES**

1. These rules may be called the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Rules, 1981.

45 GI/81—3

2. In rule 3 of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Rules, 1978 ;

- (i) for clause (i) of sub-rule 1(a), the following shall be substituted, namely :—

“(i) Chairman”;

- (ii) for clause (ii) of sub-rule 2(a), the following shall be substituted, namely :—

“(ii) Vice-Chairman”.

[No. S-23025/2/81-M. IV]

R. K. DAS, Under Secy.

\*Published at pages 1955-1979 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 26th August, 78 under the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 1064 dated 9th August, 1978.

**रेल मंत्रालय**

(रेल बोर्ड)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1981

सा० का० नि० 449.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से रेल बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल बोर्ड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम 1981 है।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 के (जिसे इसमें इससे पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 9 में,—

- (i) उपनियम (a) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह कि यदि यथापूर्वोक्त किसी वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा रिक्तियों की भरे जाने के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो, सीधी भर्ती के कोटे में न भरी गई रिक्तियाँ सहायक की श्रेणी के लिए चयन सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की अधिष्ठायी नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी”;

- (ii) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(6-क) उपनियम (6) में किसी बात के होते हुए भी, 30 जून, 1979 को सीधी भर्ती के लिए भारित ऐसी अधिष्ठायी रिक्तियाँ, जिन पर उस तारीख तक कोई भी सीधे भर्ती किए जाने वाला व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है और ऐसी अधिष्ठायी रिक्तियों की पचस प्रतिशत संख्या रेल बोर्ड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 1981 के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् सहायक की श्रेणी के लिए चयन सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की अधिष्ठायी नियुक्तियों द्वारा भरी जा सकेंगी।

- टिप्पण :—30 जून, 1979 की सीधी भर्ती के लिए भारित अधिष्ठायी रिक्तियों की संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए सहायक श्रेणी परीक्षा, 1978 के माध्यम से भरी गई रिक्तियों को अपवर्जित किया जाएगा”;

- (iii) उपनियम (7) के स्थान पर, उसके परन्तुक को छोड़कर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

“(7) सहायक की श्रेणी में अस्थायी रिक्तियाँ, रेल बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के ऐसे उच्च श्रेणी अधिकारियों की जिन्होंने उस श्रेणी

में कम से कम पांच वर्ष अनुभवी सेवा की है और जो ज्येष्ठता की रैंज के भीतर हैं, प्रयोग्य होने के कारण प्रस्थीकार कर दिए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर अस्थायी प्रोमोति द्वारा भरी जाएगी।”

- (iv) उपनियम (8) में, “उपनियम (6) के खण्ड (ii) और उपनियम (7) के प्रयोजनों के लिए” पद के स्थान पर “उपनियम (6) के खण्ड (i) के प्रयोजन के लिए” पद रखा जाएगा।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में:—

- (i) खण्ड 2 के “सहायक श्रेणी” शीर्षक के अधीन “पूर्वनिर्माणात्मिक रिक्तियाँ” शब्दों के स्थान पर “पूर्वनिर्माणात्मिक अधिष्ठायी रिक्तियाँ” शब्द रखे जाएंगे;

- (ii) खण्ड 3 के उपखण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा अर्थात्:—

“परन्तु ऐसी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए, जिनके लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, किसी वर्ष में चयन सूची से श्रेणी के नियम 9 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार अधिष्ठाई रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और चयन सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे का विचार किए बिना उस वर्ष सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए अल्पम व्यक्तियों के बीच एक-साथ रखे जाएंगे;

- (iii) उपखण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अस्तित्व में किया जाएगा, अर्थात्:—

“(4) नियम 9 के उपनियम (6-क) के उपबन्धों के अनुसार अधिष्ठाई रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को उस क्रम में, जिसमें उन्हें सहायक की श्रेणी के लिए चयन सूची में सम्मिलित किया जाता है, पारस्परिक ज्येष्ठता समनुदेशन की जाएगी और ऐसे व्यक्ति सहायक श्रेणी परीक्षा, 1979 की मार्फत सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के ऊपर एक-साथ रखे जाएंगे”;

[सं० ई० 80 ओ० जी० 4/1 प्रार० बी (डी)]

एन० पद्मानाभन, संयुक्त सचिव  
रेल बोर्ड

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 9th April, 1981

**G.S.R. 449.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in consultation with the Union Public Service Commission, the President hereby makes the following rules, further to amend the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railway Board Secretariat Service (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 9 of the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969 (hereinafter referred to as the said Rules),—

(i) to sub-rule (6), the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that if sufficient number of candidates are not available for filling up the vacancies in any year by direct recruitment as aforesaid, the unfilled vacancies in the direct recruitment quota shall be filled by the substantive appointment of persons included in the Select List for the Assistants' Grade”;

(ii) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(6-a). Notwithstanding anything contained in sub-rule (6), the substantive vacancies reserved for direct recruitment as on 30th June, 1979, against which no direct recruits have been appointed till that date, plus fifty per cent of the number of such substantive vacancies may be filled by substantive appointments made after the date of commencement of the Railway Board Secretariat Service (Amendment) Rules, 1981, of persons included in the Select List for the Assistants' Grade.

Note:—For the purpose of calculating the number of substantive vacancies reserved for direct recruitment as on 30th June, 1979, vacancies filled through the Assistants' Grade Examination, 1978 shall be excluded”;

(iii) for sub-rule (7) except the proviso thereof, the following shall be substituted, namely:—

“(7) Temporary vacancies in the Assistants' Grade shall be filled by the temporary promotion on the basis of seniority, subject to the rejection of the unfit, officers of the Upper Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service who have rendered not less than five years approved service in that grade and are within the range of seniority”.

(iv) in sub-rule (8), for the expression “for the purposes of clause (ii) of sub-rule (6) and sub-rule (7)”, the expression “for the purpose of clause (i) of sub-rule (6)” shall be substituted.

3. In the Schedule to the said rules,—

(i) under the heading “B-ASSISTANTS' GRADE” of clause 2, for the words “anticipated vacancies”, the words “anticipated substantive vacancies” shall be substituted;

(ii) in clause 3, to sub-clause (3), the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that persons appointed substantively in accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 9 to the Grade from the Select List in any year against direct recruitment vacancies for which direct recruits are not available shall be placed en-bloc below the last direct recruit appointed that year irrespective of the quotas reserved for direct recruits and persons included in the Select List”;

(iii) after sub-clause (3), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(4) persons appointed substantively in accordance with the provisions of sub-rule (6-a) of rule 9 shall be assigned seniority inter-se in the order in which they are included in the Select List for the Assistants' Grade and such persons shall be placed en-bloc above the direct recruits of the Assistants' Grade Examination, 1979”.

[No. E-80-OG 4/1/RB(D)]

N. PADMANABHAN, Jt. Secy. Railway Board.